



झारखण्ड सरकार

लोकसभा निर्वाचन-2019
अति-महत्वपूर्ण।

राँची समाहरणालय, राँची

(आदर्श आचार संहिता कोषांग)

E-mail Id-admlaworder@gmail.com

पत्रांक :-/आ0आ0सं0को0

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-उपायुक्त, राँची।

प्रेषित,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
राँची।

राँची, दिनांक :/03/2019

विषय :-

लोकसभा निर्वाचन-2019 के निमित्त आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :-

निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक-437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2019
दिनांक-10.03.2019

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन के संबंध में कहना है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के उद्घोषणा के पश्चात आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य/जिले में लागू कर दिया गया है।

अतः आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत सरकारी वेबसाईट से मंत्री/जनप्रतिनिधि का फोटो/आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित विषयों को अविलम्ब हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-उपायुक्त, राँची।